UPJS010031352026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।</u>
उपस्थितः–अनुभव द्विवेदी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे०ओ० कोड–UP1637
<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1003/2026</u>

प्रदीप कुमार पुत्र स्व० लक्ष्मी चन्द, निवासी–119/1 जवाहर स्कूल के पास पुलिना नं०–9, थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी। ----------अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ---------अभियोजक।

मु०अ०सं०–368/2019
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी।

1. थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी के मु०अ०सं०–368/2019, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप कुमार** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जरिये आत्मसमर्पण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में अभियोजन कथानक को अंकित करते हुए सारतः कथन किया गया है कि अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है और थाना प्रेमनगर की पुलिस ने उसे रंजिशन झूठा फंसाया है। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थी को आज तक कोई जानकारी नहीं है और ना ही कभी न्यायालय का सम्मन ही उसे प्राप्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने मोहल्ले का शान्तिप्रिय व सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति है। आरोपित अपराध जमानतीय है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत में रिहा होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जमानत का दुर्पयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी अभियोजन साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक तिथि को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा मुकदमे के विचारण में किसी प्रकार का विलंब नहीं करेगा। जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों पर अभियुक्त/प्रार्थी ने दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

3. प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए अग्रेतर यह तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क किया गया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त प्रदीप द्वारा अपने परिसर में विद्युत चोरी अवैध रूप से उपयोग करते पाए गए पाए जाने का आरोप है। अपराध अजमानतीय है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा कन्हैया लाल उपखण्ड अधिकारी ने थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी में यह सूचना प्रस्तुत की है कि दिनांक–12.09.2019 को

समय 12.30 बजे उच्चाधिकारियों आदेशानुसार मैं कन्हैया लाल उपखण्ड अधिकारी सीपरी बाजार झाँसी एवं परमेश्वर गौराई अवर अभियंता, नीरज सिंह टी०जी०–2, संजय रायकवार श्रमिक, हिदेश तिवारी संविदाकर्मी, शकील संविदाकर्मी एवं कौशल संविदाकर्मी के साथ आपके थाना क्षेत्र में विद्युत संयोजनों को चैक किया गया तो उपभोगकर्ता प्रदीप द्वारा अपने परिसर में विद्युत चोरी अवैध रूप से उपयोग करते पाए गए तथा सुविधानुसार लगभग 6 हाथ दो कोर काले रंग की केबिल मौके पर सील कर सर्व मुहर की गई। उपभोक्ता का यह कृत्य भा०वि०अ० 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर चैकिंग रिपोर्ट सं० – 2694/03 भरी गई। अतः उपभोगकर्ता प्रदीप के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें।

7. उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–368/2019 थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी में दिनांक 26–09–2019 को समय 16.23 बजे दर्ज कराई गयी। प्रकरण की विवेचना आरंभ की गयी। विवेचना उपरान्त अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8. अभियुक्त प्रदीप कुमार द्वारा अपने परिसर में विद्युत चोरी अवैध रूप से उपयोग करते पाए जाने के कारण धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप है।

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना दर्शित नहीं की गई है।

10. मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण दोष पर विचार किये बिना, न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप कुमार** की ओर से मु०अ०सं०–368/2019, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–प्रेमनगर, जिला–झाँसी में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) की धनराशि के **एक** प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्ध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–30.05.2026

(अनुभव द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1637)